

आदेश

जिला सोनीपत में कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण होने वाले दुष्प्रभावों से बचाव व किसी भी आपत स्थिति को मध्यनजर रखते हुए जिले में स्थित सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों जैसे: विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, राजकीय तकनीकी संस्थान, आई.टी.आई., स्कूलों के रजिस्ट्रारों/प्रधानाचार्यों को निर्देश दिये जाते हैं, कि दिनांक 31.3.2020 तक अवकाश घोषित कर दें तथा आप अपने-2 संस्थान में कार्यरत सभी शिक्षक एवं गैर शिक्षक अधिकारी/कर्मचारी को निर्देश दें कि वह दिनांक 31.03.2020 तक शिक्षण संस्थानों में उपस्थित ना होकर अपने निवास स्थान से ही यथासंभव कार्य का निपटान करें और मुख्यालय पर उपस्थित रहें, ताकि किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त उपस्थित हो सके ।

जिलाधीश, सोनीपत ।

9/3/20

29/3/20

पृ0 क्रमांक 6415/Camp /एम0बी0, दिनांक 20-03-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :-

- 1 जिले में स्थित सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ।
- 2 महाप्रबन्धक, चालक प्रशिक्षण केन्द्र, मुरथल ।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी/मौलिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत
- 4 जिले में स्थित सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य ।
- 5 जिले में स्थित सभी तकनीकी संस्थानों/आई0टी0आई0 के प्रधानाचार्य ।
- 6 जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, सोनीपत ।

जिलाधीश, सोनीपत ।

9/3/20

29/3/20